प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क आरटीए रास्ता स्वीकृति बाबत

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री जसपाल सिंह दहिया	प्रार्थी
2. श्री पवन कुमार	अप्रार्थी सं. 1,5,6,7,8
3. जरिये सरकार तहसीलदार पीलीबंगा	अप्रार्थी संख्या 9

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 09/4/2026

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क आरटीए रास्ता स्वीकृती बाबत प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि वाके तहसील पीलीबंगा का चक 46 एस एस डब्ल्यू की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 जमाबन्दी 2077 (वर्ष 2021) से स्थाई का खाता सं. 77/69 प.न. 62/323 मु.न. 53 कि.न. 12/1, 16/2, 25/1, 25/2, 5060 हैं. नहरी मय गै.मु. खाला व प न. 63/323 मु.न. 52 कि.न. 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 8, 9/1, 13, 18/1 की 1.278 है. नहरी मय गै. मु. खाला कुल 1.7840 है. नहरी मय गै. खाला

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

खातेदारी कृषि भूमि में से प्रार्थी के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है। व शेष कृषि भूमि मुताबिक जमाबन्दी अप्रार्थी न. 2 ता 8 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी अवलोक नार्थ सत्य प्रति जमाबन्दी पेश है।

यह कि वाके तहसील पीलीबंगा का चक 46 एस एस डब्ल्यू की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 जमाबन्दी 2077 (वर्ष 2021) से स्थाई का खाता सं. 80/70 प.न. 62/324 मु. न. 60 कि.न. 1 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 7/1, 8/1, 9/1, 10/1, व प.न. 63/323 मु. न. 52 कि.न. 22, 23 व प.न. 63/324 मु.न. 61 कि.न. 1/2, 2/2, 3/2, 4/2 की कुल 2. 9710 हैं. नहरी, मय गै. मु. खाला खातेदारी कृषि भूमि अप्रार्थी न. 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है। अवलोक नार्थ सत्य प्रति जमाबन्दी पेश है ।

यह कि प्रार्थी अपनी उक्त कृषि भूमि में कृषि कार्य हेतू मय अपने ट्रेक्टर ट्राली व बैल गाडी आदि व पैदल चल कर अप्रार्थी न. 1 की उक्त कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा का चक 46 एस एस डब्ल्यू का प.न. 62/324 मु.न. 60 कि.न. 2/0.130, 3/0.0130, 4/0.0130, 5/0.0030 कुल 0.0420 है. में तीन बीघा लम्बा व एक विस्बा चौड़ा रास्ता चालू है। जो इसी प.नं. 62/324 मु.न. 60 का कि.नं. 2, 3, 4, के प्रत्येक बीघा में 1–1 विस्वा चौड़ा जो मौका पर पूर्व–पश्चिम तीन बीघा लम्बा व उत्तर–दक्षिण 1 बिस्वा चौड़ा रास्ता जो कि.न. 5 में एक बिस्वा चौड़ाई में पश्चिम व उत्तर दिशा के कोने पर उत्तर दिशा की ओर घुमावदार होकर प.न. 62/323 मु.न. 53 के कि.न. 25 में प्रवेश करता हुआ रास्ता मौका पर चालू है। जो कि मौका पर प.न. 62/324 का कि.न. 1 में चल रही ए आर डब्ल्यू नहर की पटड़ी पर चालू रास्ता में मिलता हुआ रास्ता है। जिसमें से होकर प्रार्थी व अप्रार्थी न. 2 ता 8 अपनी उक्त कृषि भूमि में काफी लम्बे समय से बतौर रास्ता आना जाना करते आ रहे हैं। जिससे प्रार्थी उक्त रास्ता स्वीकृत करवा कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहता है। एंव प्रार्थी एंव अप्रार्थी न. 2 ता 8 अपनी उक्त कृषि भूमि में से 0.0420 है. ब. हिस्सा ब. हिस्सा बराबर बराबर श्री मान जी के आदेश अनुसार उक्त रास्ता स्वीकृत करवाने की एवज में भूमि के बदले अपनी कृषि भूमि में से अप्रार्थी न. 1 को देने के लिये तैयार एंव सहमत है। इसके साथ ही श्री मान जी के अन्य आदेश की पालना के लिये भी प्रार्थी व अप्रार्थी न. 2 ता 8 तैयार रहेगें। अप्रार्थी न. 2 ता 8 के हित में भी उक्त प्रार्थना पत्र है यदि अप्रार्थी न. 2 ता 8 चाहें तो प्रार्थी बन सकते हैं

यह कि तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को अप्रार्थी न. 9 भू–धारक होने से प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया है ताकि प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र में किसी प्रकार का नुकस ना रहे। यह कि प्रार्थना पत्र श्री मान जी के न्यायलय के क्षेत्राधिकार का है जो अन्दर मियाद व उचित कोर्ट फीस पर पेश है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से स्वीकार किया जावे।

(क) कि वाके तहसील पीलीबंगा का चक 46 एस एस डब्ल्यू का प.न. 62/324 मु. न. 60 कि.न. 2/0.130,3/0.0130, 4/0.0130, 5/0.0030 कुल 0.0420 है. को रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे।

(ख) कि तहसील पीलीबंगा का चक 46 एस एस डब्ल्यू का प.न. 62/324 मु.न. 60 कि.न. 2/0.130, 3/0.0130, 4/0.0130, 5/0.0030 कुल 0.0420 है. में तीन बीघा लम्बा व एक विस्बा चौड़ा रास्ता चालू है। जो इसी प.नं. 62/324 मु.न. 60 का कि. नं. 2, 3, 4, के प्रत्येक बीघा में 1–1 विस्वा चौड़ा जो मौका पर पूर्व–पश्चिम तीन बीघा लम्बा व उत्तर – दक्षिण 1 बिस्वा चौड़ा रास्ता जो कि.न. 5 में एक बिस्वा चौड़ाई में पश्चिम व उत्तर दिशा के कोने पर उत्तर दिशा की ओर घुमावदार होकर प. न. 62/323 मु.न. 53 के कि.न. 25 में प्रवेश करता

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

हुआ रास्ता मौका पर चालू है। जो कि मौका पर प.न. 62/324 का कि.न. 1 में चल रही ए आर डब्ल्यू नहर की पटड़ी पर चालू रास्ता में मिलता हुआ रास्ता है। को स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। श्री मान जी की अति कृपा होगी।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण द्वारा राजीनामा पक्षकार प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1,5,6,7,8 के द्वारा प्रस्तुत किया गया है राजीनामा पक्षकारान निम्न प्रकार से है–

यह कि उक्त अनवान प्रकरण श्रीमान न्यायालय में जैरकार है जिसमें पक्षकारान का आपस में पंचायती तौर पर राजीनामा हो चुका है। यह कि तहसील पीलीबंगा के चक 46 एसएसडब्ल्यू के खाता सं. 77169 के प.नं. 62/323 (53), प.नं. 63/323 (52) की 1.784 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी में प्रथम पक्ष का 1/3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड वाके है ।

यह कि तहसील पीलीबंगा के चक 46 एसएसडब्ल्यू के खाता सं. 80/70 के प.नं. 62/324 (60), प.नं. 63/323 (52), प.नं. 63/324 (61) की 2.971 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी द्वितीय पक्ष सं. 1 के नाम दर्ज रिकार्ड वाके है ।

यह कि प्रार्थी प्रथम पक्ष के नाम दर्ज भूमि में आने जाने के लिये कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही है । प्रथम पक्ष ने अप्रार्थी द्वितीय पक्ष सं. 1 की कृषि भूमि में से चक 46 एसएसडब्ल्यू के प.नं. 62/324 (60) किला नं. 21.013, 3/.013, 4/.013, 5/.003 कुल 0.042 हैक. में तीन बीघा लम्बा व एक बिस्वा चौड़ा रास्ता को स्वीकृत करवाने के लिये उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त रास्ता प.नं. 62/324 (60) किला नं. 2, 3, 4 के प्रत्येक बीघा में 1–1 बिस्वा चौड़ा जो मौका पर पूर्व पश्चिम तीन बीघा लम्बा व उतर – दक्षिण 1 बिस्वा चौड़ा रास्ता जो किला नं. 5 में एक बिस्वा चौड़ाई में पश्चिम व उतर दिशा के कौने पर उतर दिशा की ओर घुमावदार होकर प.नं. 62/323 (53) किला नं. 25 में प्रवेश करता है। यदि प्रथम पक्ष द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो मिन अप्रार्थी सं.1 द्वितीय पक्ष को कोई आपति व एतराज नही होगा। उक्त रास्ता अप्रार्थी सं.1 द्वितीय पक्ष की कृषि भूमि में से स्वीकृत होना है व उक्त रास्ता के बदले प्रार्थी प्रथम पक्ष व अप्रार्थीगण द्वितीय पक्ष सं. 5 ता 8 अपनी कृषि भूमि में से 0.042 हैक. भूमि अप्रार्थी सं.1 द्वितीय पक्ष को देने के लिये सहमत है। उक्त 0.042 हैक. भूमि प्रार्थी प्रथम पक्ष व अप्रार्थीगण सं. 5 ता 8 की भूमि में से ब. हि. ब. कम कर अप्रार्थी सं. 1 बाधु देवी के नाम दर्ज की जावे ।

प्रकरण में तहसीलदार पीलीबंगा से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई है मुताबिक तहसीलदार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता मौके पर चालू है । प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते में आने वाली भूमि के समस्त काश्तकारो को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा चाही गई भूमि रास्ते के अलावा अन्य स्वीकृतशुद्धा रास्ता मौके पर राजस्व रिकॉर्ड नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता कम दूरी का नही है। प्रार्थी के पास मौके पर अन्य वैकल्पिक नहीं है।

आदेश

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया तहसीलदार रिपोर्ट एवं उभय पक्ष के मध्य राजीनामा के आधार पर प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251–क के तहत निम्नानुसार रास्ता स्वीकृत किया जाता है–

चक 46 एसएसडब्ल्यू के प.नं. 62/324 (60) किला नं. 2, 3, 4 के प्रत्येक बीघा में 1–1 बिस्वा चौड़ा जो मौका पर पूर्व पश्चिम तीन बीघा लम्बा व उतर – दक्षिण 1 बिस्वा चौड़ा

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

रास्ता जो किला नं. 5 में एक बिस्वा चौड़ाई में पश्चिम व उतर दिशा के कौने पर उतर दिशा की और घुमावदार होकर प.नं. 62/323 (53) किला नं. 25 में प्रवेश करता हुआ रास्ता स्वीकृत किया जाता है। उक्त रास्ता के बदले प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 5 ता 8 अपनी कृषि भूमि में से 0.042 हैक. भूमि अप्रार्थी सं.1 द्वितीय पक्ष को देने के लिये सहमत है। तहसीलदार पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि 0.042 हैक. भूमि प्रार्थी पक्ष व अप्रार्थीगण सं. 5 ता 8 की भूमि में से ब. हि. ब. कम कर अप्रार्थी सं. 1 बाधु देवी के नाम दर्ज की जावे एवं आदेशों की पालना में तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, की दशा में आदेशों की पालाना में राजस्व रिकार्ड अमलदरामद करे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो । आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 09/4/26 सुनाया गया।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
उपखण्ड सहायक कलक्टर
पीलीबंगा